(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान किन-किन राज्यों में पोलीटैक्निक्स संस्थान खोले जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान गांधी नगर में एक पालिटेकनीक आरम्भ किया है ।

(ग) असम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने वर्ष 1990-91 में पालिटेक्नीकों की स्थापना के प्रस्ताव किये थे ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फलैटों का आवंटन

2446. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फर्जी बैंक चालानों के आधार पर हजारों फलैटों का आवंटन किया है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छान-बीन की है यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के ध्यान में ऐसे 6 मामले आए हैं जिनमें फर्जी बैंक चालानों के आधार पर कब्जा-पत्र जारी किए गए थे । दो अधिकारियों को निलम्बित किया गया है । आगे छानबीन के लिए मामला पुलिस उपायुक्त, क्राइम तथा रेलवे को भेजा गया है ।

Memorandum by All India Council of Mayors

2447. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received a memorandum from the All India Council of Mayors; and

(b) if so, what are the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL): (a) and (b) The All India Council of Mayors have been submitting memorandums concerning various issues on urban development from time to time. The latest memorandum from the All India Council of Mayors was received on 27-11-1991. This memorandum contains suggestions with reference to the Constitution (72nd Amendment) and Constitution (73rd Amendment) Bills, 1991. The issues raised by them are summaried in the statement attached. (*See* below) Since the Constitution Bill relating to Urban Local Bodies (73rd Amendment) Bill has already been introduced in the Lok Sabha, these issues would have to form part of the debate in the Parliament when the Bill is taken up for consideration.

Statement

Suggestions by All India Council of Mayors Relating to the constitution (Seventy Third Amendment) Bill 1991

1. (a) Amendment in Article 243 I so as to make provision for levying of certain tax by or exclusively for Local Bodies.

   (b) Levy and collection of certain duties and taxes by the State Govt. and to be assigend the same to Local Bodies within which that duty or tax leviable.

   (c) Levy and collection of certain taxes by the State Governments.

   (d) Provision to debar State Governments from levying any of the tax/duties/fees mentioned in a&b above or to abolish the same by the State Government or to abolish them or to impose a tax parallel to any of these taxes within the area of a Municipality.

2. Provisions relating to Ward Committees should be deleted.

3. Parliament to be empowered to frame Model Acts for Municipal Corporation and Municipality.

सरकारी आवास का आवंटन

2448. श्री अजीत जोगी :
कुमारी आलिया :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी कितनी समय सीमा के बाद सरकारी आवास के आवंटन के हकदार हो जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी कर्मचारियों को पहली बार सरकारी आवास का आवंटन किया गया है और वर्ष वार, कितने सरकारी कर्मचारियों को उच्च "टाइप" के आवास का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) सरकार ने सरकारी आवास आवंटन प्रणाली में और सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय स्वायत संगठनों क कर्मचारी "सामान्य पूल" के अधीन आवासों का आवंटन के पात्र हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जिन कार्यालयों को साधारण पूल आवास के लिए पात्र घोषित किया गया है, उन कार्यालयों में कार्यरत सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी रिहायशी आवास आवंटन के लिए पात्र हैं । रिहायशी आवास की भारी कमी के कारण टाइप I से तक IV का वास्तविक आवंटन सेवाकाल के आधार पर किया जाता है, तथा टाइप V से टाइप VIII से संबंधित वास्तविक आवंटन किसी निश्चित तारीख को लिए जा रहे मूल वेतन के आधारपर किया जाता है ।

(ख) यद्यपि ठीक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है तथापि उपलब्ध जानकारी के अनुसार विगट तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणियों में बंगलों को छोड़कर, किए गए आवंटन का अनुमानित ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1988	1990	1991 (8/91) तक
टाइप–I	1274	1245	804
टाइप–II	2560	2822	2354
टाइप–III	2711	2215	2449
टाइप–IV	1062	1091	793
टाइप–V	470	513	380
टाइप–VI	65	72	55